

(other than linear projects)

Office of the District Collector

Kangra at Dharmshala ----

No. 154

/DRA

Dated: 15th June, 2017


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of Other than linear projects, it is certified that... 0-42-53 Hect Mohal Ghoor of forest land proposed to be diverted in favour of Police Department for Construction of Police Choki Thural in Sub Tehsil Thual of Kangra District falls within jurisdiction of Palampur Forest Divisional

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-42-53 Hect Mohal Ghoor of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub Divisional Level Committee and the District Committee are enclosed as annexure... 1... to... Annexure....
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- (c) The Gram Sabha Thual, has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Thual is enclosed as annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have been their consent to it,
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl. As above


(C.P. Verma)
I. A. S
District Collector

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
दिनांक 11.05.2017 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 11.5.2017 को श्री सी0पी0 बर्मा, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	सचिव
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला।	सदस्य
3 वन मण्डल अधिकारी नूरपुर	सदस्य
4 वन मण्डल अधिकारी देहरा।	सदस्य
5 वन मण्डल अधिकारी (वन संरक्षण)	सदस्य
6 सहायक अरण्यपाल वन पालमपुर	सदस्य
7 श्री गगन सिंह	सदस्य
8 श्री मति गायत्री देवी	सदस्य
9 अनिता देवी	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु उक्त एक्ट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन उपमण्डल स्तरीय कमेटी धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, से आवेदन प्राप्त हुए ।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला से H.P POWER TRANSMITSSION CORPORATION LTD. HPPPTCL PIO Chambi (Rait) 132 KV D/C Transnission Line के निर्माण हेतु मामला प्राप्त हुआ है।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर से निम्नलिखित सड़क के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है:-

- 1 Widening to pave s shoulders with over lay from KM 11/200 to 25/765 ON NH-154 in the state of H.P के निर्माण हेतु
- 2 Bus Lay bye. Truck Lay bye and Service Road at Kandwal at KM.12/400 and at Jassur KM.180 on NH-154 in the state og H.P के निर्माण हेतु।
उपमण्डल अधिकारी(ना0) पालमपुर से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए:-

- 1 पुलिस चौकी थूरल के निर्माण हेतु।
- 2 वानू शिप हाईड्रो प्रा0 लि0 के निर्माण हेतु ।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में


किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। परन्तु उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ द्वारा भेजे गये वानू शिप हाईड्रो प्रा0 लि0 प्रोजैक्ट के निर्माण हेतु मामले में बैठक में उपस्थित गैर सदस्यों ने एतराज जताया है कि उक्त प्रोजैक्ट को अभी स्थगित रखा जाए क्योंकि जो प्रोजैक्ट पहले चल रहे हैं उन्होंने लाडा का पैसा अभी तक लोगों को वितरित नहीं किया है। इसलिए जब तक लाडा का पैसा लोगों को वितरित नहीं किया जाएगा तब तक उक्त मामला स्थगित रखा जाए। अतः बाकि समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में परित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी ना0 पालमपुर से वन अधिकार के दावों के 5 मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें निम्नलिखित ऋटियां पाई गईं:-

- 1 उपमण्डलीय स्तर की बैठक की कार्यवाही संलग्न न है।
- 2 अधिकारों की सीमा चिह्नित करने हेतु खसरा न0 की रिपोर्ट मिसलों में संलग्न है।
- 3 उपमण्डल अधिकारी ना0 द्वारा प्रस्तुत किये दावों के साथ संलग्न दस्तावेजों का सही हवाला दर्ज नहीं किया गया है।
अतः इस बारे सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (ना0) को ऋटियों का निपटारा करने हेतु लिखा गया है ऋटियों का निपटारा करने उपरान्त पुनः जिला स्तरीय आगामी बैठक में रखा जाएगा।

तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया।

स्थान—धर्मशाला
दिनांक मई, 2017


(सी0पी0वर्मा, भा0प्र0से0)
उपायुक्त कांगड़ा एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या / डी0आर0ए0 दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- 2 सहायक अरण्यपाल वन पालमपुर
- 3 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, नूरपुर, देहरा
- 4 वन मण्डल अधिकारी (वन संरक्षण) हमीरपुर।
- 5 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा0 वाह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।
- 6 श्री मति गायत्री कपूर धौलाधार क्लोनी सी-41 पोस्ट ओफिस दाडी लोहर वड
वडोल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।
- 7 श्री मति अनिता देवी गांव व डा0 चचियां तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा।


अति0 जिलादण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

Office of the S.D.O CIVIL Palampur District Kangra (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub Division level Committee Constituted under Scheduled Tribes & Other Tradition Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA) 2006 .

A meeting of the of the Sub Division level Committee of Palampur the Sub Division Constituted under FRA 2006 was held under the /Chairpersonship of **Mr. Ajit Kumar Bhardwaj S.D.O CIVIL Palampur District Kangra (H.P.)** on **07-1-2017 at 11-00--AM office of the S.D.O CIVIL Palampur** in which the applications claiming rights in Mahal Ghoor Mauza Dheera SubTehsil Dheera No Khasra 293 measuring 0-42-53 hect .forest area under FRA 2006 of the following application (s) duly processed and recommended by the Forest Right Committee(s) of Palampur Sub Divisional level **Committee** was discussed to consider the same for recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion ,the following decisions were taken on each applications.

Name of Applicant	Decision (recommended/not recommended)
1 Incharge r Police Choki Thural SubTehsil Dheera Palampur	✓recommended

place-Palampur
Date 07-01-2017-


S. D .O. ©-Chairman/Chairperson

Sub Division level Committee
Palampur

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा यूरल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 6

दिनांक 06-01-2017

ग्राम सभा यूरल की बैठक आज दिनांक 06-01-2017 को 11 वजे
बजे, स्थान गांधी स्टाडियम पंचायत भवन में श्री/श्रीमति शिवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में
की गई जिसमें यूरल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यूरल जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें पुलिस विभाग द्वारा अवन के निर्माण के लिए 0-43-53
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1.	<u>जन्म सिंह राजा R/O यूरल</u>	<u>यूरल</u>	
2.	<u>व्यक्त सिंह राजा R/O यूरल</u>	<u>यूरल</u>	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार यूरल जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान यूरल
दिनांक 06-01-2017

अधीकृत रविशंकर
ग्राम सभा यूरल

जनवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।



हस्ताक्षर Cheruvu
दिनांक 06-01-2017

प्रधान
Cheruvu

वन अधिकार
समिति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत..... (पुरल)
विकास खण्ड..... (कंगड़ा) गांव..... जिला..... (कंगड़ा) (हि.प्र.)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति..... (कृपाल सिंह)
गणपूर्ति..... 301 / 600

दिनांक..... 16-09-15
प्रस्ताव संख्या..... 07

विषय..... (पुरल विकास) विभाग/संस्था को..... (पुरल चौकी) (पुरल के लिए)
भूखण्ड नं. 301 के निर्माण हेतू..... गांव पुरल के नदी खंड नं. 293 के
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित..... 0-43-53 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतू।

ग्राम पंचायत..... (पुरल) की बैठक आज
दिनांक..... 16-09-2015 को..... 11 बजे, स्थान..... (पुरल चौकी) (पुरल के नदी खंड नं. 293 के लिए)
को..... (पुरल चौकी) (पुरल के नदी खंड नं. 293 के निर्माण हेतू..... 0-43-53 हैक्टियर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित..... 0-43-53 हैक्टियर वन भूमि को..... (पुरल चौकी) (पुरल के नदी खंड नं. 293 के निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा..... (पुरल) की सहमति दी जाती है।

स्थान..... (पुरल)
दिनांक..... 16-09-15

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..... (पुरल).....
विकास खण्ड नन्दागांव

(कृपाल सिंह)

Sub Divisional Police Officer
Bajnath Distt Kangra H.P



ग्राम पंचायत पुरल
विकास खण्ड नन्दागांव, कंगड़ा हि.प्र.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....पुरल.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....07.....

दिनांक.....18-9-15.....

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा.....पुरल..... की बैठक आज
दिनांक.....18-9-15 को 11 बजे, स्थान.....(पुरल) में
श्री/श्रीमती.....जन्म सिंह डाटा की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....पुरल व लुड वड
.....रे गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत.....पुरल लुड जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त
आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें.....पुरल विकास के लिये पुरल व लुड वड
के निर्माण के लिए.....6-43-53 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के
उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमती.....पुरल विकास का
जंगल/वन क्षेत्र में.....पुरल लुड के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार
सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उपखण्ड स्तर की
समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....पुरल
दिनांक.....18/9/15

Rakesh
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....पुरल व लुड वड

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Kunpal Singh



ग्राम पंचायत थुरल
विकास कण्ड बन्नागांव, कांगड़ा हि.प्र.

Sub Divisional Police Officer
Bajnath Distt Kangra H.P.

JSSang
अधीक्षक
वन अधीक्षक (संरक्षण)

ਗੰਗ ਡਾਇਕਾਰ ਲਿਸਟਿ

- 1) ਵਲੀ ਵਾਲ ਡਾਠ ਲੰਦਰੂ ਵਾਲ ਜਲੀ ਰਾਮ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾਗਲ
ਮਾਨੀ ਦੇਵੀ
- 2) ਪੁਜੀ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਸੁਲੂ ਵਾਲ
- 3) ਚਮਨਲਾਲ ਡਾਠ ਵਾਸ਼ੂ ਵਾਲ ਚਮਨਲਾਲ
- 4) ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਕੁਲਠ ਦੇਵ ਚੁੱਠਾ
- 5) ਸ਼ਾਕੁਨਲਾ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਵਠਾਜੀ ਸਿੰਠ ਤਾਕੁਨਕਾ-੨੯੦
- 6) ਠਾਕਠਾਠ-ਵਠੜ ਡਾਠ ਲੰਦਰੂ ਸਿੰਠ K. al...
- 7) ਸ਼ੀਦਲ ਡਾਠ ਵਾਸ਼ੂ ਵਾਲ ਚੁੱਠਾ
- 8) ਗਗਨ ਸਿੰਠ ਡਾਠ ਕੁਲਠ ਸਿੰਠ ਵਠਾ...
- 9) ਗਾਨੀ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਪੁਸ਼ੂ ਵਾਲ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾਗਲ
ਮਾਨੀ ਦੇਵੀ
- 10) ਠਾਕਠਾਠ-ਵਠੜ ਡਾਠ ਵੇਲੀ ਵਾਲ
- 11) ਵਠਾ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਜੁਲਮੀ ਵਾਲ ਚੁੱਠਾ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾਗਲ
ਮਾਨੀ ਦੇਵੀ
- 12) ਗਗਨ ਸਿੰਠ ਡਾਠ ਪੁਸ਼ੀਧ ਸਿੰਠ ਵਠਾ...
- 13) ਕੁਲਵਿੰਡ ਸਿੰਠ ਡਾਠ ਪੰਜਾਵ ਸਿੰਠ K. al... J. R. D. al
- 14) ਪੁਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਵਾਠਾ ਵਾਲ
- 15) ਸ਼ਾਮਾ ਦੇਵੀ ਵਧ/੦ ਪਵਲ ਵਾਲ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾਗਲ
ਮਾਨੀ ਦੇਵੀ